आज़ाद मैदान चलो! आज़ाद मैदान चलो ! आज़ाद मैदान चलो !

हिंद मज़दूर सभा - महाराष्ट्र कौंसिल

30, श्री बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, रानाडे रोड, दादर (पश्चिम),
मुंबई - 400028

केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों और चार श्रम संहिताओं के खिलाफ 28 और 29 मार्च 2022 को मजदूरों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल तथा 29 मार्च 2022 को दोपहर 2 बजे आजाद मैदान, मुंबई में एक बड़ा मोर्चा

साथी,

आप जानते हैं कि देश की केंद्र सरकार मजदूर विरोधी नीतियों को लागू कर रही है तथा उद्योगपतियों के इशारे पर फैसले ले रही है। 22 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने 44 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में बदल दिया।

केंद्र सरकार की इस मजदूर विरोधी नीति के माध्यम से मज़दूर यूनियनो ने 150 साल की लड़ाई के बाद जो 44 श्रम कानून हासिल किए थे, उन्हें नष्ट कर दिया गया है, और इसके बजाय, 4 श्रम संहिताएं पारित की गई हैं। इसने मज़दूरों और मज़दूरों के आंदोलन को नष्ट कर दिया है और इससे स्थायी नौकरियों की सुरक्षा को खतरा है। भारतीय संविधान में, मज़दूरों ने न्याय, मजदूरी और अन्य मुद्दों के साथ संगठित होने, एक यूनियन बनाने और साथ-साथ नौकरी की सुरक्षा के लिए शासक वर्ग से बातचीत करने का अधिकार हासिल किया था। इन अधिकारों के माध्यम से, हम मालिक के साथ एक दीर्घकालिक अनुबंध बनाने और अपने और अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम थे। अगर हम सरकार को चार श्रम संहिताओं को निरस्त करने के लिए मजबूर नहीं करते हैं, तो हमारे बच्चे इन अधिकारों से वंचित हो जाएंगे और उन्हें मालिक के अधीन मजबूर मज़दूर के रूप में काम करना होगा।

सरकार ने औद्योगिक संबंध संहिता पारित करके 1923 ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1947 औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा नौ अन्य महत्वपूर्ण कानूनों को रद्द कर दिया है। इन कानूनों ने स्थायी मज़दूरों को निश्चित अवधि या अनुबंध मज़दूरों द्वारा प्रतिस्थापित करने की अनुमति देने के लिए नींव तैयार की है। ये संहिता सरकार को

तुच्छ कारणों से ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार भी देते हैं। ये कोड मजदूरों और ट्रेड यूनियनों के खिलाफ हमले के हथियार हैं और ट्रेड यूनियनों को खत्म करने की साजिश हैं।

यह संहिता सामाजिक सुरक्षा, भविष्य निधि और ईएसआईसी अधिनियम को समाप्त करती है। इसने मालिक के लाभ के लिए पीएफ दर को 12% से घटाकर 10% कर दिया है। इसके अलावा, यह संहिता मेहनती मज़दूरों के पीएफ जमा को निजी कंपनियों को सौंपने की सुविधा प्रदान करता है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता 1970 के अनुबंध श्रम अधिनियम, 1948 कारखाना अधिनियम और अन्य कानूनों को रद्द करती है। इस श्रम संहिता में मज़दूरों के काम के घंटे बढ़ाने का प्रावधान है। इन संहिताओं ने लंबे अनुबंधों वाले ठेका मज़दूरों और 50 से अधिक काम करने वाले मज़दूरों के स्थानों को छोड़कर, ठेका मज़दूरों के अल्प अधिकार भी छीन लिए हैं। इतना ही नहीं, संहिता स्थायी नौकरियों को अनुबंधित करने की भी अनुमति देती हैं।

मजदूरी पर संहिता ने 1936 वेतन भुगतान अधिनियम, 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और दो अन्य कानूनों की जगह ले ली है। यह संहिता मौजूदा न्यूनतम वेतन को कम करने के लिए नींव बनाता है और अंशकालिक काम के लिए पूर्ण वेतन का अधिकार छीनता है। हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम इन चार श्रम संहिताओं का कड़ा विरोध नहीं करते हैं और सरकार को उन्हें निरस्त करने के लिए मजबूर नहीं करते हैं, तो हमारे बच्चों को बड़े पूंजीपतियों के अधीन दास के रूप में काम करना होगा।

इन चारों श्रम संहिताओं को पारित करने से पहले मोदी सरकार ने किसी मज़दूर यूनियन से सलाह नहीं ली। यह फैसला मोदी सरकार ने बड़े पूंजीपतियों को अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, मेहनती मजदूरों को लूटने की इजाजत देने के लिए लिया है। हिंद मज़दूर सभा ने महाराष्ट्र राज्य सरकार से केंद्र सरकार द्वारा पारित इन प्रतिगामी श्रम संहिताओं का पूरी तरह से विरोध करने और इन संहिताओं को लागू नहीं किया जाए यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। हम केंद्र और राज्य सरकारों से निम्नलिखित मांगें करते हैं।

मांगे

1) केंद्र सरकार द्वारा 44 श्रम कानूनों को बदलने के लिए पारित चार श्रम संहिताओं को रद्द किया जाना चाहिए।
2) बिजली संशोधन विधेयक को रद्द किया जाना चाहिए।

3) किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र का किसी भी रूप में निजीकरण को रोका जाना चाहिए।
4) जो परिवार आयकर का भुगतान नहीं करते हैं उन्हें रुपये 7500 प्रति माह का भोजन और आय सहायता दी जानी चाहिए।
5) मनरेगा के लिए आवंटन में वृद्धि और शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करो ।
6) अनौपचारिक क्षेत्र के सभी मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
7) आंगनवाडी, आशा, मध्याह्न भोजन एवं अन्य मजदूरों को वैधानिक न्यूनतम वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाये।
8) महामारी के दौरान लोगों की सेवा करने वाले फ्रंट लाइन मज़दूरों को उचित सुरक्षा और बीमा सुविधाएं दी जानी चाहिए।
9) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, अमीर वर्ग पर आयकर आदि के माध्यम से अधिक कर लगाया जाना चाहिए और इस कर को कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं में निवेश किया जाना चाहिए।
10) पेट्रोलियम उत्पादन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम किया जाना चाहिए, और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए।
11) संविदा एवं योजना मज़दूरों को नियमित किया जाए तथा समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाए।
12) एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए।
13) मथाडी बोर्ड को निगम में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए।

इन मांगों को लेकर देश के प्रमुख मजदूर यूनियनो ने 28 और 29 मार्च 2022 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल में हिंद मजदूर सभा भाग लेगी। इस पत्रक के माध्यम से हिंद मज़दूर सभा अपने सदस्य संगठनों से सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों की निंदा करने के लिए गेट मीटिंग, प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन आयोजित करके अपने क्षेत्र में हड़ताल में भाग लेने का आह्वान करती है। 29 मार्च 2022 को, महाराष्ट्र कौंसिल ने आजाद मैदान में एक बड़ा मोर्चा आयोजित किया है। यह मोर्चा दोपहर 2 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस प्लेटफॉर्म नंबर 18 के बाहर शुरू होगा तथा आजाद मैदान में सभा होगी। मोर्चा को हिंद मज़दूर सभा के वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि केंद्र सरकार के चार श्रम संहिताओं के खिलाफ आवाज

उठाने के लिए हजारों की संख्या में भाग लें और उन्हें निरस्त करने की मांग करें। धन्यवाद!

आपके साथियां

हनुमंत ताते	**शंकर साल्वी**	**संजय वाधवकर**	**सुधाकर अपराज**	**निवृति धूमल**
सलाहकार	अध्यक्ष	महासचिव	अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष
जेआर भोसले	**महाबल शेट्टी**	**एसके शेट्टये**	**शशांक राव**	**वेणु नायर**
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष	राष्ट्रीय उपाध्यक्ष	राष्ट्रीय उपाध्यक्ष	महासचिव	NRMU
किशोर कोतवाल	**केर्सी पारेख**	**अमरसिंह ठाकुर**	**अब्दुल गनी सेरांग**	**शिव यादव**
मथाड़ी व गोदी मज़दूर नेता	गोदी मज़दूर नेता	जहाज मज़दूर नेता	जहाज मज़दूर नेता	महासचिव, के. मज़दूर सभा
रामचंद्र शर्माले	**मधुकर भोंडवे**	**विकास मगदुम**	**राजेश ताकेकर**	**संदीप शिंदे**
सचिव, पुणे मंडल	सचिव, पुणे मंडल	सचिव, सांगली मंडल	उपाध्यक्ष, नासिक मंडल	अध्यक्ष, युवा समिति

हर जुल्म के खिलाफ, संघर्ष हमारा नारा है!

हिंद मज़दूर सभा अमर रहे !

मज़दूरों की एकता अमर रहे !